

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-60/2019/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) के आवेदित अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र (स्वयं की बीमारी) के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र. स. | नाम कर्मचारी | दिनांक से | दिनांक तक | कुल अवधि | अवकाश का प्रकार |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
| 1. | रेखा अहारी | 11.08.16 | 21.09.16 | 42 | असाधारण अवकाश |
| 2. | हेमलता रौत | 01.11.16 | 15.11.16 | 15 | असाधारण अवकाश |
| 3. | मन्जु मीणा | 10.08.16 | 21.09.16 | 43 | असाधारण अवकाश |

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/आर-60/2019/331

दिनांक:- 12/3/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर